

राजस्थान सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन का
अन्ये पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले
जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप



क्रमांक ४

दिनांक

१२/२/२०१३

मिशन बैंक नं. १११३

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री जेधा जोगी

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री लक्ष्मी लक्ष्मण जाति रथाती निवासी कटी

तहसील साँगोद जिला कोठा (राज.) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक पं. 11(125) आर. एण्ड

पी/46631 दिनांक 27 अगस्त सन् 1993 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गों की अधिकृत अनुसूचित सुचि मे सम्मिलित वर्गों मे से रथाती वर्गों/जाति के सदस्य है।

श्री बड़ीलाल और या उसका कुटुम्ब राज्य भाग

राज्य के जिला खण्ड मे स्थायी तौर से निवास करता है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि राज्य की अधिसूचना संख्या पं. 9(8) कार्मिक न/5/90 दिनांक 28-9-93 के साथ उपबद्ध अनुसूची के ये स्तम्भ 3 मे उल्लेखित अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात उक्त अनुसूची मे वर्णित व्यक्तियो/वर्गों (क्रीमिलियर) का नहीं है।

दिनांक ०९/०२/२०१३

मोहर

सहायता कार्यालय
जिला - कोठा (राज.)